

28/3/18

न्यायालय के सर्वविध अधिकार के अन्तर्गत धारा 151  
 जहाँ सीवानी के तहत प्रकल्प दिनांक 28/3/18 के  
 मूल वाद पत्र क्रमांक 13/13 खारिज किये जाते हैं और  
 इस इतराफ पर कोई कार्यवाही अदेखित नहीं रहती है।  
 ऐसी स्थिति में इतराफ पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त  
 की जाती है। निम्न फौजदारी नम्बर से करा  
 है। वाद फौजदारी नम्बर है।

हस्ताक्षर

(सुरेश चावला)

न्यायाधीश, एवं महासहायक न्यायाधीश  
 मसूदा (अजमेर) राज

